ओ0पी0 सिंह,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या–43/2019
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
गोमती नगर विस्तार–7
पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः सितम्बर 26, 2019

विषय– भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

विगत कुछ समय से यह देखने में आया है कि विभिन्न जनपदों में कतिपय भूमि सम्बन्धी विवादों के परिणाम स्वरूप हत्या जैसी गम्भीर घटनायें घटित हुई हैं जो बहुत ही चिन्ता का विषय है। इनके कारणों का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात हुआ कि इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में मौजूद सम्पत्ति/भूमि विवाद विगत दीर्घ अवधि से प्रचलित था। यदि ऐसे विवादों को चिन्हित कर उन्हें तत्काल राजस्व विभाग के संज्ञान में लाकर समय रहते उनका निराकरण करा लिया गया होता तो निश्चित रूप से हत्या,बलवा जैसी गम्भीर घटनाओं को रोका/टाला जा सकता था। यद्यपि भूमि विवादों के निस्तारण का कार्य निश्चित तौर पर राजस्व विभाग का है किन्तु भूमि विवादों के लम्बित रहने के कारण घटित घटनाओं से पुलिस विभाग के लिये असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मुख्यालय एवं शासन स्तर से समय–समय पर विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। किन्तु, ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गत स्वतः स्पष्ट निर्देशों का जनपदों द्वारा कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण कतिपय जनपदों में भूमि विवाद के कारण घटित हो रही घटनाओं में परिलक्षित हुई है। यदि समय रहते प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही ऐसे प्रकरणों में सुनिश्चित कर ली जाये तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं को घटित होने से रोका जा सकता है।

परिपत्र संख्या डीजी–21/94 दि012.10.94
परिपत्र संख्या डीजी–01/95 दि014.01.95
परिपत्र संख्या डीजी–23/07 दि014.06.07
परिपत्र संख्या डीजी–68/07 दि021.08.07
परिपत्र संख्या डीजी–44/08 दि011.04.08
परिपत्र संख्या डीजी–25/13 दि030.05.13
परिपत्र संख्या डीजी–10/14 दि015.02.14
परिपत्र संख्या डीजी–12/14 दि022.02.14
परिपत्र संख्या डीजी–34/17 दि014.09.17

साधारण एवं गम्भीर घटनाओं पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही करने एवं विवाद/रंजिश के मामलों को चिन्हित कर उनका समय से निराकरण करने हेतु पूर्व में निर्गत समस्त पार्श्वांकित परिपत्रों के क्रम में पुनः अपेक्षा की जाती है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर तत्काल आवश्यक प्रभावी कार्यवाही की जायेः–

- **भूमि विवाद रजिस्टर को अद्यावधिक किया जाना** – प्रत्येक थाने पर भूमि विवाद के सम्बन्ध में प्रचलित रजिस्टर को अद्यावधिक करा लिया जाये, जिसमें बीट आरक्षी के माध्यम से समस्त भूमि सम्बन्धी विवादों को चिन्हित कराकर बीट सूचना अंकित की जाये एवं सीधे प्राप्त प्रार्थना पत्रों व यू0पी0–100 पर प्राप्त समस्त सूचनाओं को भी बीटवार उक्त भूमि विवाद रजिस्टर में अभिलिखित करा लिया जाये।
- **अन्य विभागों की अधिकारिता से सम्बन्धित भूमि विवादों को भी अभिलिखित किया जाना** – इसी प्रकार राजस्व विभाग, नगर निगम एवं स्थानीय विकास प्राधिकरण इत्यादि के माध्यम से भी ऐसे समस्त भूमि सम्बन्धी प्रकरणों जिनमें हिंसा या विवाद की स्थिति हो, को भी चिन्हित कराकर उक्त रजिस्टर में अभिलिखित करा लिया जाये।

Scanned by CamScanner

- **वक्फ बोर्ड के विवाद पर सतर्क दृष्टि रखा जाना** – प्राय देखा गया है कि वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों के मध्य भी भूमि विवाद रहते हैं, इसलिये शिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड के सहयोग से चिन्हित कराते हुये भूमि विवाद रजिस्टर में अभिलिखित करा लिया जाये तथा जिलाधिकारी के माध्यम से निस्तारण करा लिया जाये।
- **खनन पट्टों से सम्बन्धित प्रतिद्वन्दिता पर प्रभावी कार्यवाही** –इसी प्रकार खनिज विभाग से सम्बन्धित पट्टों से सम्बन्धित सीमा विवादों एवं अन्य विवादों को भी खनिज विभाग के माध्यम से अभिलिखित करा लिया जाये।
- **भूमि विवादों से सम्बन्धित असंज्ञेय अपराधों पर त्वरित अपेक्षित कार्यवाही** – इन समस्त विवादों के अतिरिक्त थानों पर पंजीकृत ऐसी समस्त एन0सी0आर0 एवं एफ0आई0आर0 जो कि किसी भूमि विवाद के कारण पंजीकृत हुई हैं उन्हे भी प्रमुखता के आधार पर विवाद रजिस्टर में अंकित किया जाये।
- **धारा 133 व 145 द0प्र0सं0 की रिपोर्ट पर प्रभावी अनुश्रवण** – इस विवाद रजिस्टर में ऐसे समस्त प्रकरण भी सम्मिलित किये जायें जिनमें पूर्व में दं0प्र0सं0 की धारा 133 व धारा 145 द0प्र0सं0 की रिपोर्ट सम्बन्धित न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है।
- **स्वयंमेव अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाना** – किसी भूमि के विधिक स्वामी के अधिकारों में बिना न्यायालय व मजिस्ट्रेट के आदेश के अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाये। सम्बन्धित पुलिस थाने का दायित्व है कि निरोधात्मक कार्यवाही करते हुये राजस्व विभाग को सूचित कर यथासम्भव विवाद का निराकरण उनके द्वारा करायें । भूमि व राजस्व सम्बन्धी विवादों को सावधानी एवं तत्परता पूर्वक चिन्हित कर उनकी आख्या समय से सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में प्रस्तुत करें तथा तहसील दिवस/समाधान दिवस एवं उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित थाने के उपजिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक आदेश प्राप्त कर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम गठित कराकर समयान्तर्गत तत्परता पूर्वक यथासम्भव निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- **शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही** – गम्भीर एवं महत्वपूर्ण विवाद की दशा में यदि विवाद करने वाले पक्ष जानबूझ कर विधिक उपबन्धों का उल्लंघन करते हुये पाये जाये और उनके पास शस्त्र का लाईसेंस हों तो शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत उनके शस्त्रों के निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की जाये।
- **भूमाफिया के विरूद्ध कार्यवाही** – यदि इन विवादों के निस्तारण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आता है कि कोई व्यक्ति भूमाफिया के रूप में कार्य कर रहा है तो उसके विरूद्व प्रचलित शासनादेश के अर्न्तगत पृथक से कार्यवाही की जाये।
- **बीट सूचना/निरोधात्मक कार्यवाही** – प्रत्येक थाने पर बीट व्यवस्था सक्रिय करके पुराने भूमि विवाद/रंजिश के सभी मामलों को चिन्हित कर बीट सूचना अंकित कराते हुये 107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही एवं भारी राशि से पाबन्द कराने (116(3) द0प्र0सं0) की कार्यवाही तत्परता से की जाय ताकि किसी प्रकार की गम्भीर घटना घटित न होने पाये। पाबन्द व्यक्तियों द्वारा शर्तो का उल्लंधन करने पर सम्बन्धित पक्षकारों के विरूद्व तत्काल धारा 122(ख) द0प्र0सं0 की आख्या प्रस्तुत कर मुचलका धनराशि जब्त कराई जाये।

Scanned by CamScanner

- <u>तहसील दिवस/समाधान दिवस/आई0जी0आर0एस0 प्रकरणों से सम्बन्धित भूमि विवादों का भूमि विवाद रजिस्टर में अंकन एवं राजस्व विभाग से समन्वय कर त्वरित निस्तारण</u> – आई0जी0आर0एस0/ तहसील दिवस एवं समय–समय पर उच्चाधिकारियो के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्र जो भूमि विवाद से सम्बन्धित हों उन्हे भी उक्त विवाद रजिस्टर में अंकित किया जाये। इस प्रकार यह प्रक्रिया सतत् रूप से गत्यात्मक रहेगी। उपरोक्त विवाद रजिस्टर में अभिलिखित प्रविष्टियों को समाधान दिवस पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को अभिदिष्ट किया जाये एवं प्रत्येक विवाद को तार्किक निष्पत्ति (निस्तारण) तक पहुॅचाया जाये। इस हेतु जिलाधिकारी से सामंजस्य स्थापित करते हुये मात्र समाधान दिवस के अतिरिक्त अनुगामी दिवसों हेतु रोस्टर बनाकर समस्या का समाधान कराया जाये।
    - उल्लेखनीय है कि ग्रामीण अंचल में अधिकतर भूमि विवाद खेत खलिहान/बाग/मेड़/सहन की जमीन नाली निकास आदि से सम्बन्धित होते हैं। वहीं नगरीय क्षेत्र में भूमि विवाद का मुख्य कारण प्लॉट/मकान/रास्ते/दरवाजे एवं दूसरे की जमीन को बिना समुचित प्राधिकार अन्य को विक्रय करने के कारण होती है। जिसका समय रहते समुचित निस्तारण न होने से गम्भीर घटना घटित हो जाती है।
    - सर्वप्रथम तहसील दिवस/समाधान दिवस पर भूमि विवाद सम्बन्धी शिकायतों को पृथक कर उन ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर विशेष अभियान के अन्तर्गत राजस्व/नगर निगम/विकास <u>प्राधिकरण/चकबन्दी</u> के अन्तर्गत आने वाले छोटे से छोटे विवादों को भी चिन्हित कर समुचित अभिलेखीकरण करा लिया जाये ।
    - समाधान दिवस के दौरान थाने पर निस्तारित प्रकरणों के अतिरिक्त ऐसे भूमि विवाद सम्बन्धी प्रकरणों जिनका थाने पर निस्तारण सम्भव नही है, के निस्तारण हेतु जनपद के प्रत्येक थानावार राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों का गठन किया जाय जिसमें राजस्व एवं पुलिस विभाग के पर्याप्त संख्या में सदस्य सम्मिलित हों।
    - शिकायतों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामवार/थानावार/तहसीलवार स्थानीय सुविधानुसार मासिक कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह में 02 दिन निर्धारित किया जाये और उसका अग्रिम रूप से व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाये। जनसामान्य को सूचित कर दिया जाये कि सम्बन्धित पक्षकार कार्यक्रमानुसार अपने साक्ष्यों एवं अभिलेखों सहित मौके पर उपस्थित रहें ताकि संयुक्त टीम द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर यथासम्भव मौके पर ही न्यायोचित कार्यवाही की जा सके एवं शिकायत का निस्तारण किया जा सके।
    - जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त टीमों की रवानगी के पूर्व समस्त टीम लीडरों की बैठक आहूत कर मौके पर की जाने वाली कार्यवाही, प्रक्रियात्मक एवं विधिक बिन्दुओं, बरती जाने वाली सावधानियों व कृत कार्यवाही की रिपोर्टिंग आदि के बारे में ब्रीफिंग की जाये तथा उन्हें यह निर्देश दिया जाये कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन मामलों को छोडकर शेष प्रकरणों का समाधान ग्राम के सम्भ्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में बातचीत, सुलह समझौता के माध्यम से विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जाये।

Scanned by CamScanner

- संयुक्त टीम के सदस्यों को यह भी निर्देश दिया जाये कि यदि समयाभाव अथवा अन्य किसी विशेष परिस्थितियों में किन्ही प्रकरणों का समाधान उसी दिन नही हो पाता है, तो संयुक्त टीम द्वारा अगले दिन ग्राम में जाकर मामले का समाधान किया जाये। राजस्व विभाग/पुलिस विभाग की संयुक्त टीम से उनके भ्रमण के उपरान्त प्रकरण क विवाद के निस्तारण के विवाद रहित होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाये।
- संयुक्त टीम द्वारा समाधान दिवस पर कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त कृत कार्यवाही का पूरा विवरण थाने के जी0डी0/रोजनामचाआम में दर्ज किया जाये। अभियान के दौरान मौके पर प्राप्त नई शिकायतों व उन पर कृत कार्यवाही का विवरण भी रोजनामचाआम में दर्ज किया जाये।
- संयुक्त टीमों द्वारा चिन्हित अति संवेदनशील व अति गम्भीर प्रकरणों में जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/ अपर जिलाधिकारी/ अपर पुलिस अधीक्षक एवं उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति में निराकरण/निस्तारण कराया जाये।
- उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी संयुक्त रूप से सम्बन्धित तहसील/थानों में अभियान दिवस में काय कर रही समस्त संयुक्त टीमों का कम से कम एक बार अवश्य भ्रमण किया जाय जबकि व्यवहारिक रूप से इस परम्परा में अभाव परिलक्षित हो रहा है।

- <u>सुस्पष्ट एवं विस्तृत अभिलेखीकरण</u> – जिन–जिन प्रकरणों का समाधान हो जाये अथवा जिनमे समझौता हो जाये ऐसे प्रकरणों का अभिलेखीकरण इस प्रकार किया जाये कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग मे लाया जा सके। अर्थात प्रत्येक विवाद के सम्बन्ध में सही एवं गलत पक्ष की स्थिति पूर्णतया स्पष्टरूप से अंकित की जाये । यदि उसमें अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता हो तो उसके लिये अतिरिक्त पत्रावलियां निर्गत किया जाये, जिससे उसका भविष्य में प्रयोग किया जा सके।
- <u>हेल्पलाइन नम्बर 1076/112/100 का व्यापक प्रचार प्रसार</u> – भूमि विवाद के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री हेल्पलाईन नम्बर 1076/इमरजेन्सी हेल्पलाइन नम्बर 112/ यू0पी0–100 का आमजन में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाये एवं उन्हे प्रेरित किया जाये कि उपरोक्त हेल्पलाईन नम्बर का अधिकाधिक प्रयोग करें। उक्त सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार के लड़ाई/झगड़ा एवं फौजदारी सम्बन्धी समस्या है तो उस दशा में ही यू0पी0–100/स्थानीय पुलिस को सूचित करें।

आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन एवं सतत् अनुश्रवण कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

2/7/19

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से) ,
<u>प्रभारी जनपद–उत्तर प्रदेश।</u>

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को शासन स्तर से निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतुः–

1. **समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक**, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक**, उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner